Vol 3 Issue 11 Dec 2013 ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest,Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
Volume-3, Issue-11, Dec-2013
ISSN 2230-7850

Available online at www.isrj.net

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और गरीबी उन्मूलन जनजातीय क्षेत्रों की वास्तविकता

अखिलेश पाल
सीनियर रिसर्च फैलो म. प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म. प्र.)

सारांश:स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही जनजातीय समुदाय को गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन आदि समस्याओं से निजात दिलाने के लिए वृहद स्तर पर नीतियों को लागू किया गया। साथ ही समाज को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए संविधान में विभिन्न रक्षात्मक व्यवस्था की गई तथा राजनीतिक व्यवस्था में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गये। इनकी पृथक प्रशासनिक व्यवस्था पाँचवीं एवं छठीं अनुसूची में करने के साथ ही इनके विकास तथा कल्याण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं और जनजातीय उप–योजना के माध्यम से विभिन्न अवधारणा, प्रतिमान एवं दृष्टिकोण अपनाए गये। साथ ही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र से भी जोड़ा गया।

प्रस्तावनाः–

प्रस्तुत शोध पत्र तीन भागों में विभक्त है। पहला भाग जनजातियों की गरीबी का स्तर, मनरेगा के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका के सैद्धांतिक पक्षों पर केन्द्रित है। दूसरे भाग में जनजातियों की गरीबी उन्मूलन में मनरेगा और पंचायतों की भूमिका से पड़े प्रभाव पर चर्चा की गई है तथा अंत में निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किए गये हैं। यह अध्ययन जनजातीय समुदाय से साक्षात्कार, अवलोकन और समूह चर्चा पर आधारित है। अध्ययन जनजातीय गरीबी को कम करने में विकेन्द्रीकरण और मनरेगा के प्रभाव की वास्तविक स्थितियों पर प्रकाश डालती है।

73वाँ संशोधन संविधान अधिनियम मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था की अब तक की यात्रा में मील का पत्थर रहा है। मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायत राज विधान बनाया। मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है जिसके अनुसार ग्राम, जनपद एवं जिला स्तर पर उनकी आबादी के अनुपात में स्थानों का आरक्षण किया गया है। इस अधिनियम के अनुरूप पंचायतों को काफी सशक्त किया गया, जिसमें ग्रामसभा को सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गयी तथा पंचायत राज व्यवस्था के इस सबसे निचले स्तर की ग्रामसभा को स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ग्राम स्तर पर विकास से सम्बन्धित सभी लिए जाने वाले निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई।

यह विधान भी जनजातीय क्षेत्रों को विकास की प्रक्रिया से नहीं जोड़ पाई और यह जनजातियों को अपने क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मामलों का नियंता नहीं बना पाया। यह आवश्यकता सदैव महसूस की जाती रही कि अनुसूचित क्षेत्रों का संस्थागत ढाँचा जनजातियों की आवश्यकताओं, उनकी प्रकृति एवं जनजातीय संस्थाओं जिनसे यह लोग सदियों से जुड़े हैं, के अनुरूप होना चाहिए। जनजातियों ने इनमें से कई क्षेत्रों यथा जल–जंगल–जमीन का प्रबन्धन दीर्घकाल तक स्वतंत्रतापूर्वक किया था, जिस पर वे दूसरे के हस्तक्षेप को सहन नहीं करते थे। वर्तमान में इन संसाधनों का प्रबन्धन अन्य संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इन अधिकारों के छीन जाने से असंतोष के स्वरों ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था को विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के रूप में स्थापित करने के साथ ही जनजातियों की परम्पराओं, रीति–रिवाजों एवं सांस्कृतिक पहचान बनाये रखने पर बल दिया गया है (पुरोहित, 2000)। इसी पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा भूरिया समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 को लागू किया गया। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य बना, जिसने मध्यप्रदेश पंचायत राज विधान को संशोधित कर पेसा अधिनियम के अनुरूप 'मध्यप्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997' का निर्माण किया गया। इस नए अधिनियम के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायत राज प्रणाली को जनजातीय समाज की बुनियादी परम्पराओं तथा प्रथागत् कानून के अनुरूप ढाला गया। जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को सामान्य क्षेत्रों की ग्रामसभा की तुलना में व्यापक अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गई।

जनजातीय समुदाय भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। विभिन्न मानवशास्त्रियों ने जनजातीय समुदाय को विभिन्न नामों जैसे–आदिम, देशज, मूल निवासी, जंगली, आदिवासी, असभ्य मानव, बर्बर, शोषित जाति, वन्य जाति, पर्वत वासी, वनवासी आदि से सम्बोधित किया है। मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक जनजातीय बहुल क्षेत्र है। राज्य में देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 14.51 फीसदी है तथा राज्य की कुल जनसंख्या का 20.27 प्रतिशत जनजातीय समुदाय का है। देश में करीब 425 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध है जिनमें से 43 जनजातियां मध्य प्रदेश में पायी जाती है। प्रदेश की इन 43 जनजातियों में से तीन बैगा, भारिया एवं सहरिया को विषेष पिछड़ी जनजातियां घोषित किया गया है जो कि आदिम जनजाति है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 40.63 प्रतिशत भाग जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अंर्तगत एवं 33.6 प्रतिशत भू–भाग अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। राज्य के 6 जिले झाबुआ, अलिराजपुर, बड़वानी, डिण्डोरी, मण्डला, तथा धार पूर्णतः अनुसूचित जिले है। इन छः जिलों में राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का 30.8 प्रतिशत भाग पाया जाता है वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 12 जिले ऐसे हैं जहाँ 5 प्रतिशत से भी कम जनसंख्या जनजातियों की है। मध्यप्रदेश की 20.3 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या में 93.5 प्रतिशत ग्रामीण तथा 6.4 प्रतिशत शहरी जनसंख्या है।

अखिलेश पाल, "*लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और गरीबी उन्मूलनजनजातीय क्षेत्रों की वास्तविकता*"
Indian Streams Research Journal Vol-3, Issue-11 (Dec 2013): Online & Print

विगत् छः दशकों से ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों (यथा–सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (ट्रायसेम), जवाहर रोजगार योजना, सूखा सम्भावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम, काम के बदले अनाज योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना आदि) का क्रियान्वयन किया गया। स्थानीय नियोजन के द्वारा ग्राम स्तर पर प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के माध्यम से छोटे स्टॉप डैम, भू–संरक्षण, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण इत्यादि जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्थानीय सहभागिता के माध्यम से किए गये। इन सभी कार्यक्रमों ने सीमित मात्रा में ग्रामीण विकास के साथ–साथ गरीबी का निवारण भी किया। अधिकांश योजनाएँ समन्वय की कमी, कुशल प्रबन्धन के अभाव तथा भ्रष्टाचार आदि समस्याओं के कारण व्यापक रूप से प्रभावित हुई, जिसके कारण ये कार्यक्रम अपने अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएँ और अपने मूल लक्ष्य गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास के अपेक्षित परिणाम को भी प्राप्त नहीं कर सकें (महला, 1999)। अधिकांश योजनाएँ जनसहभागिता के अभाव में सफल नहीं हो पाईं। फलस्वरूप, आज भी देश की ग्रामीण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को मजबूर है। इस स्थिति में गरीबी से निकलने के लिए इन लोगों द्वारा जीवनयापन के लिए प्रमुख रूप से पलायन का सहारा लेना पड़ता है जहाँ उन्हें बहुत से कष्टों को झेलते हुए मजदूरी करनी पड़ती है।

जनजातियों की सबसे मुख्य समस्या अभी भी बेरोजगारी है, जो इनके जीवन स्तर को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में निम्न मानव विकास सूचकांक, अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, काश्तकारी असुरक्षा, आधारभूत अवसंरचना की कमी, प्राकृतिक संसाधनों पर घटता नियंत्रण, पलायन आदि समस्यायें मौजूद हैं जो जनजातियों के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती है।

भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसको अभी काफी लम्बा सफर तय करना है। अभी भी इसकी प्रगति में तीन तत्वों – प्रभावी वित्त एवं कार्यों में शक्तियों के वितरण में असमानता के कारण प्रमुख अड़चने सामने आती है। जब 73वाँ संशोधन अधिनियम लागू किया गया तब पंचायतों को शक्तियों का वितरण किया गया, लेकिन वास्तविक कार्यों को करने के लिए जो अधिकार प्रदान किए गये उसके हस्तांतरण की गति काफी धीमी रही है और यह प्रक्रिया सभी राज्यों में असमान रही है (भारत सरकार, 2008)। लेकिन 2004 से इस प्रक्रिया में बदलाव आये, जब देश में मनरेगा योजना को लागू किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पूरा अधिकार पंचायत राज संस्थाओं को सौंपा गया।

भारत सरकार द्वारा जनजातीय एवं पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी, अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, ग्रामीण अवसंरचनात्मक, विकास में कमी आदि को दूर करने तथा पूर्व में चलायी गयी योजनाओं की असफलता को दृष्टिगत् रखते हुए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को संयुक्त कर लोगों को सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने का कानूनी अधिकार देने के लिए 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अत्यधिक रूप से पिछड़े 200 जिलों में क्रियान्वित किया गया (भारत सरकार, 2007–08)। 1 अप्रैल, 2007 से इसमें 130 नए जिलों का समावेश करने के बाद 1 अप्रैल, 2008 सम्पूर्ण भारत के 596 जिलों में इसे लागू कर दिया गया।

अब तक चलायी गई योजनाओं और मनरेगा में मुख्य अन्तर यहीं है कि इसमें रोजगार की गारंटी को कानूनी रूप दिया गया है। इस योजना के माध्यम से गाँव में ही प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना है, जिनके माध्यम से वे गाँव में ही अपना जीवनयापन करे एवं ग्राम के विकास में सहभागी बने। इस योजना के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के साथ–साथ गाँव के विकास के प्रतीक स्थायी परिसम्पत्तियों (जैसे तालाब, कुआँ, चेकडेम, सड़क, वनीकरण, जल संरक्षण कार्यक्रम, भू–स्तरीकरण, बागवानी लगवाना आदि) का निर्माण होगा, जिससे लोगों के सतत् जीविकोपार्जन में भी मदद होगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 13(1) के अंर्तगत इस योजना की आयोजना एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों के सबसे निचले स्तर ग्रामसभा को दी गयी है, जिनकी योजना के क्रियान्वयन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की भूमिका योजना के क्रियान्वयन की सूचना प्रसारित करना, मनरेगा के अंर्तगत किये जाने वाले कार्यों की सिफारिश करना, ग्रामसभा द्वारा चल रहे चल रहे कार्यों की देखभाल एवं पर्यवेक्षण करना, पारदर्शिता लाने के लिये सतर्कता एवं निगरानी समितियां बनाना, ग्रामसभा द्वारा मनरेगा के अंर्तगत किये जा रहे कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना, जॉब कार्ड जारी करने में सत्यापन, पारदर्शिता या उत्तरदायित्व को निभाना, पक्षपात रहित रोजगार प्रदान करना, मजदूरी का समय पर भुगतान, अभिलेखों का रख–रखाव तथा जनता को मनरेगा की सूचना की जानकारी देना। ग्राम पंचायत की भूमिका मनरेगा के प्रति लोगो में जागरूकता लाना, रोजगार इच्छुक परिवारों को जाबकार्ड एवं पंजीयन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करवाना, प्राप्त आवेदन का सत्यापन व जॉबकार्ड जारी करना, मजदूरी करने के इच्छुक परिवारों की संख्या के आधार पर श्रम बजट बनाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में कार्य स्थल पर मजदूरी करने वाले लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, पानी पीने की व्यवस्था, छोटे बच्चों के लिए झूलाघर की व्यवस्था, कार्य करते वक्त दुर्घटना होने पर मुफ्त इलाज, अस्पताल में भर्ती होने पर आधी मजदूरी, मृत्यु या अपंग होने पर मुआवजा, आराम का समय, छोटे बच्चों की देखभाल के लिए महिला मजदूरों की नियुक्ति, सभी को समान मजदूरी, इसके अंर्तगत कार्य में एक तिहाई महिला मजदूरों की सहभागिता आदि की व्यवस्था की गयी है, जो इनको रोजगार के साथ–साथ कार्य करने में सुरक्षा को स्थापित करता है। मनरेगा के अंर्तगत होने वाले सभी कार्यो में ठेकेदारों एवं मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध है। इसके अंर्तगत होने वाले सभी कार्य मजदूरों द्वारा ही किये जायेंगें तथा किये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर के माध्यम से 15 दिनों के भीतर किये जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम में सबसे मुख्य प्रावधान यह है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह निश्चित समय के लिए लिखित या मौखिक रूप से कार्य के लिए आवेदन करेगा तो पंचायत द्वारा उसको आवेदन की रसीद दी जाती है तथा व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने जिस अवधि या समय के लिए कार्य मांगा है यदि उसे 15 दिन के अंदर कार्य नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कृषि जोत का छोटा आकार, अनुपजाऊ भूमि, आधारभूत संसाधनों एवं बिजली का अभाव, स्थानीय श्रम की अनुपलब्धता एवं ऋणग्रस्तता आदि के कारण जीवनयापन सेएवं रोजगार हेतु जनजातीय समुदाय अन्य शहरों या राज्यों में प्रवास करते हैं। मनरेगा में कार्य के उपरान्त मजदूरी मिलने में अत्यधिक विलम्ब तथा कार्य मूल्यांकन के आधार पर मजदूरी के कम निर्धारण

ने जनजातियों का इस योजना से जुड़ाव कम किया। जबकि योजना के प्रारम्भ में लोगों द्वारा इसमें पूर्ण सहभागिता की गयी, किन्तु जैसे–जैसे यह योजना आगे बढ़ती गई लोगों का जुड़ाव इसमें कम होना शुरू हो गया। साथ ही व्यक्तिगत हितग्राही के रूप में अत्यन्त कम लोगों को मनरेगा के उपयोजनाओं से जोड़ा गया। जो स्पष्ट करता है कि जनजातियों की मनरेगा में चाहे वह रोजगार की स्थिति है या व्यक्तिगत हितग्राही की सभी में भागीदारी अत्यन्त कम रही है। पंचायत द्वारा मात्र सीमित रूप से कहीं–कहीं ही कुएँ का निर्माण एवं मेंडबंधन आदि कराए गये हैं, जो कि लोगों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने में अपर्याप्त है। जबकि अधिकांश क्षेत्र आधारभूत अवसंरचनाओं यथा– सड़क, बिजली, माध्यमिक विद्यालय, सिंचाई के साधनों से अभावग्रस्त है। इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा के अन्तर्गत सिंचाई के लिए छोटे स्टॉप डैम, कुआँ, सड़क, विद्यालय, मेड़बंधन, निर्मल नीर, वन्या, नन्दन फलोद्यान जैसे अनेकों कार्य किए जा सकते हैं। जिसके निर्माण से ग्रामीण विकास के साथ–साथ लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। फलस्वरूप आजीविका का बेहतर साधन उपलब्ध हो सकता है।

इस सन्दर्भ में पंचायत प्रतिनिधियों से समूह चर्चा में पाया गया कि ग्रामीण विकास कार्यों में इनकी भूमिका लगभग नगण्य है, ये पंचायत की बैठक में उन सभी प्रस्तावों पर बिना किसी चर्चा के अपनी सहमति दे देते हैं, जिन पर सरपंच/सचिव की सहमति होती है। इसका मुख्य कारण इन लोगों में सरपंच के प्रति सम्मान तथा पारम्परिक तौर पर ग्राम के मुखिया का विरोध करना नहीं होता है। किसी–किसी पंचायतों में यदि ग्रामसभा एवं ग्राम पचांयत की बैठक में मनरेगा पर कार्य प्रस्तावित हो भी जाता है तो जनपद पंचायत से इनकी स्वीकृति मिलने में काफी विलम्ब होता है जिस कारण समय से इन कार्यों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। चर्चा के उपरांत यह भी पता चला कि ग्राम पंचायत में अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद पंचायत से आदेशित होने के बाद ही होता है, इसमें ग्राम पंचायत की भूमिका नगण्य होती है। जनपद पंचायद से ही हितग्राहियों की सूची का चयन होता है। इसका मुख्य कारण पंचायत राज प्रतिनिधियों को अपनी सशक्त भूमिका के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। जिस कारण जनपद पंचायत के शासकीय कर्मचारियों द्वारा अपने मुताबिक ही योजनाओं को लागू करते हैं। यही स्थिति लगभग ग्रामसभा सदस्यों की भी है जिनको अपनी शक्तिशाली स्थिति का आभास नहीं है जिस कारण वे मनरेगा के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। वे ग्रामसभा की बैठक में मात्र शासकीय कार्यक्रमों का लाभ पाने की आशा में सहभागिता करते हैं। मनरेगा के क्रियान्वयन के प्रावधानों की अज्ञानता एवं शिक्षा में कमी के कारण पंचायत राज संस्थाएं अपनी भूमिका को नहीं निभा पाती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

मनरेगा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही स्थायी परिसम्पत्ति के सृजन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन को प्राथमिकता देकर कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था के सतत् विकास का एक विकासात्मक मॉडल है। इस योजना में इसकी बहुत सी उपयोजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। इन उपयोजनाओं में मजदूरीपरक, कृषि विकास, वन संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण विकास से सम्बंधित अधिकांश कार्यों को सम्मिलित किया गया है, जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन, संरक्षण एवं लोगों के जीविकोपार्जन संसाधनों में वृद्धि कर सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा उपयोजना ने कुछ मात्रा में लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए और साथ ही स्थायी परिसम्पत्तियों का भी निर्माण किया है। यह प्रयास लोगों को आजीविका के साधनों से नहीं जोड़ पा रहा है तथा अनुसूचित क्षेत्रों में आशानुरूप बदलाव नहीं ला पा रही है। जिस कारण आज भी इन क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याएँ व्यापक रूप से लोगों के सामने खड़ी है। जिस कारण इन क्षेत्रों में न तो गरीबी में कमी आई और न ही लोगों के पलायन स्तर में। अतः आज सबसे बड़ी आवश्यकता जनजातीय समुदाय में क्षमता निर्माण एवं जानकारी के प्रभावशाली सम्प्रेषण की है जिससे स्थानीय स्तर पर पंचायतों के माध्यम से एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जो इस योजना के अतिमहत्वाकांक्षी एवं विशाल उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। साथ ही पंचायत को स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय नदियों एवं नालों पर स्टॉप डैम बनाए जाये एवं ग्राम में निस्तार तालाब आदि का निर्माण कराना चाहिए, जिससे कि पानी का संचय किया जा सकेगा, सिंचाई स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तथा स्थायी परिसम्पत्ति के निर्माण से लोगों की आजीविका में सततता आएगी। साथ ही पंचायत के माध्यम से शासन को मनरेगा के अन्तर्गतत कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों यथा – संकरित बीज, उर्वरक की उपलब्धता, मोटर पम्प की उपलब्धता, मेड़बंधन आदि कार्यों को अनुसूचित क्षेत्रों में सूक्ष्म स्तर पर तीव्र गति से लागू करने चाहिए, जिससे लोगों को कृषि संसाधन की उपलब्धता प्राप्त हो सके और उन्नत तरीके से खेती कर सकें। निश्चित ही यदि ये उपाय अपनाए जाए तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ ही साथ गरीबी में कमी आयेगी।

सन्दर्भ

भारत सरकार, 2008, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007–08, खण्ड–1।

भारत सरकार, 2007–08, वार्षिक प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

भारत सरकार, 2008, स्टेट ऑफ पंचायत रिपोर्टः एन इनडिपेंडेंट असेसमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज।

चंद्र, बिपिन 2000, आजादी के बाद का भारत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय।

पुरोहित, बी. आर. 2000, 'मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था', ट्राइब, एम.एल. वर्मा ट्राइबल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, उदयपुर, वा. 32, नं. 1–4, पृ. 115।

राजपूत, उदय सिंह 2010, आदिवासी विकास एवं गैर सरकारी संगठन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 30।

राहुल 1997, 'रिएसर्टिंग इकोलॉजी एथिक्सः भील्स स्ट्रगल्स इन अलिराजपुर', इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 18–19, पृ. 87।

साह, डी. सी. 2004, 'लाइव्लीहुड स्ट्रगलः एग्रीकल्चर इन ट्राइबल गुजरात', डी.सी. साह एवं यतीन्द्र सिंह सिसोदिया (संपा.), ट्राइबल इश्यूज़ इन इण्डिया, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 53।

विद्यार्थी, एल.पी. एवं बी.के. राय (1985) : 'द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया', कान्सेप्ट पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

तिवारी, शिवकुमार (1984) : 'मध्यप्रदेश के आदिवासी', म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।

श्रीनिवास, एम. एन. (1966) : 'सोशल चेन्ज इन माडर्न इंडिया', एलाइड पब्लिशर्स, मुम्बई।

श्रीवास्तव, ए.आर.एन. (2007) : 'जनजातीय भारत', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net